न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/61(प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 19.06.2023**

उनवान

राम प्रताप आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, आयु 63 वर्ष, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. किशनलाल आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, अकलेरा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/104 (काउंटर क्लेम) **दायरा दिनांक : 03.07.2023**

उनवान

राम प्रताप आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, आयु 63 वर्ष, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. किशनलाल आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, अकलेरा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री मुकुट बिहारी पारेता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.03.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 181/दावा/2014 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.04.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बासोदिया, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 49 की खसरा नम्बरान कमशः 268 की 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 328 की 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 331 की 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 488 की 8 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 925/487 की 4 बीघा, खसरा नम्बर 927/489 की 9 बिस्वा कुल 6 किता की 15 बीघा 9 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के शामलाती खातेदारी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 से वादी का वाद डिक्री किया जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रकरण सं. 151/2016 से दर्ज कर निर्णय दिनांक 04.10.2017 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। इस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2023 से वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया व काउंटर क्लेम प्रतिवादी खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार कर तथा प्रतिवादी क्रम 1 अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार, होने योग्य होने के उपरान्त भी खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट वादी को उक्त विवादित आराजी मे मात्र रिकार्ड के अनुसार 1/2 आराजी का बंटवारा करने में कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि रेस्पोडेंट क्रम 1 वादी खसरा नम्बर 488 में से 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी पश्चिमी दिशा की अपीलांट को दिनांक 02.06.2002 को विकय कर कब्जा सम्भला दिया था, तब से अपीलाण्ट ही उक्त रकबे 1 बीघा 16 बिस्वा पर बहैसियत स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में एवं रिकार्ड पर होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रकबे को शामलाती खाते से कम नही करते हुऐ मात्र रिकार्ड के आधार पर सम्पूर्ण भूमि मे 1/2 हिस्सा मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बाद में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अपील शामलाती भूमि के अलावा कय शुदा भूमि 1 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा तथा अपीलाण्ट द्वारा स्वयं के द्वारा खुदवाया गया कुआ जो खसरा नम्बर 488 में स्थित है से वादी रेस्पों० को अपीलाण्ट की कृषि आराजी में सिंचाई के लिये पानी लेने में वादी रेस्पोडेंट द्वारा रोकने से स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी, जो स्वीकार होने योग्य होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट का उक्त काउन्टर क्लेम खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी रेस्पोडेंट अपीलाण्ट को 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी का बेचान कर कब्जा संभला चुका है तथा वादी रेस्पोंडेंट का उक्त रकबे पर कब्जा भी नही है तथा वादी द्वारा कब्जा प्राप्ति की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम खारिज करने तथा वाद वादी स्वीकार करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट क्रम 1 के मध्य सन् 1992 से मौखिक रूप से बंटवारा हो रहा है, तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसके पश्चात वादी रेस्पों० क्रम 1 ने अपने हिस्से की खसरा नम्बर 488 में से 1 बीघा 16 बिस्वा पश्चिमी दिशा की आराजी का विक्रय कर कब्जा अपीलाण्ट को सम्भला दिया गया था तथा कुए से सिंचाई के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया, जब कि इस सम्बन्ध मे तनकी नम्बर 4 कायम की गई थी तथा अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तनकी को साबित कर दिया था। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष पूर्ण रूप से साबित कर दिया था, किन्तु उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुऐ मात्र रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 17.04.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.06.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 से वादी का वाद डिक्री किया जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रकरण सं. 151/2016 से दर्ज कर निर्णय दिनांक 04.10.2017 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया। प्रकरण रिमाण्ड के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः दिनांक 17.04.2024 को निर्णय पारित किया इसकी अपील है। तथा काउंटर क्लेम की अपील भी पेश की है। इकरारनामे से वादी रेस्पोडेंट ने पूर्व में खसरा नम्बर 488 की 1 बीघा 16 बिस्वा (पश्चिम दिशा की) आराजी का बेचान दिनांक 02.06.2002 को कर कब्जा संभला दिया है और खसरा नम्बर 488 चाह का निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि पारिवारिक सैटलमेंट इकरारनामे में अंकित भूमि को कम करते हुए 1/2, 1/2 करना चाहिए था। खसरा नम्बर 488 चाह पर भी पानी लेने का अधिकार देना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 4 का निर्णय सही पारित नहीं किया है। काउंटर क्लेम स्वीकार कर निर्णय पारित किया है। हमारा कब्जा कयशुदा आराजी पर है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 का दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में हमारा 1/2 हिस्सा स्वीकार किया है। किशनलाल ने इकरारनामे से दिनांक 02.06.2002 को वादग्रस्त आराजी 19000/–रूपये में 20/–रूपये के स्टाम्प पर बेचान करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से बेचान को अवैध माना है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2020 पेज 312, आर.बी.जे. 2023 पेज 125, सी.पी.सी. 1908 पेज 622 ऑर्डर 8 नियम 6(2), आर.आर.डी. 1989 पेज 540, आर.बी.जे. 2024(31) पेज 362 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम बासोदिया, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 49 की कुल 6 किता की 15.09 बीघा आराजी जो वादी व प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वर्णित आराजी में से वादी का 1/2 भाग पृथक किया जाकर खातेदार टीनेन्ट घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वादी को कब्जा आराजी दिया जावे। इस आशय का वाद

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 केम्प पचौला में अपने निर्णय दिनांक 09.06.2014 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया। प्रतिवादी कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 151/2016 से वादी रेस्पोडेंट कम 1 के विरूद्ध अपील दायर करने पर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभयपक्ष अपने निर्णय दिनांक 04.10.2017 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। इसके अभाव में सी. पी. सी. की पालना में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में प्रतिवादीगण की सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद में वर्णित आराजी में से वादी ने खसरा नम्बर 488 की 8 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से 1 बीघा 16 बिस्वा पश्चिम तरफ की दिनांक 02.06.2002 को 49000/–रूपये में बेचान कर कब्जा प्रतिवादी रामप्रताप को संभला दिया है तथा विक्रय पत्र उसी समय 12/–रूपये के स्टाम्प पर लिखवा कर गवाही गवाहान करा दी थी। नकल स्टाम्प पेश है। वादी व प्रतिवादी सगे भाई होने से वादी के विश्वास पर रह गया तथा रजिस्ट्री नहीं करवायी। उक्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा बहैसियत खरीददार चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी रामप्रताप खसरा नम्बर 488 की 1 बीघा 16 बिस्वा पश्चिम तरफ का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है। प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 488 में एक कुआ खुदवाया है, अतः प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है। अतः जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से का तथा खसरा नम्बर 488 की 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी का तथा उसमें बने चाह के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के खसरा नम्बर 488 में बने चाह से सिंचाई करने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करें, ना किसी से करावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र तथा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.04.2023 से वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री करते हुए प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया है। अपीलांट प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा काउन्टर क्लेम के सन्दर्भ में दो अपीले कमशः अपील संख्या 2023/61 एवं अपील संख्या 2023/104 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अपने कथन में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रिकॉर्ड के अनुसार वादी रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है क्योंकि वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 488 में से 1 बीघा 16 बिस्वा आराजी पश्चिम दिशा की अपीलांट को दिनांक 02.06.2002 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी एवं रिकॉर्ड पर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रकबे को शामलाती खाते से कम नहीं करते हुए मात्र रिकॉर्ड के आधार पर सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की जो निरस्तनीय है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 488 में खुदवाये गये कुएं से अपीलांट की कृषि आराजी में सिंचाई के लिये पानी लेने में वादी रेस्पोडेंट द्वारा रोकने से स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी थी, जो स्वीकार होने योग्य होने के उपरान्त भी अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2023 निरस्त कर अपीलांट का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नकल जमाबंदी ग्राम बासोदिया खाता संख्या 49 सम्वत 2069–2072 एक्जीविट पी. 1 में दर्ज वादी के 1/2 हिस्से के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विवादित आराजी खसरा नम्बर 488 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा आराजी में से 1 बीघा 16 बिस्वा पश्चिम दिशा की दिनांक 02.06.2002 को 49000/–रूपये में वादी से क्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत 20/–रूपये के स्टाम्प को अपंजीकृत विक्रय दस्तावेज होने के कारण अपीलांट को क्रय शुदा आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के सन्दर्भ में इस अपंजीकृत दस्तावेज को वैधानिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपीलांट का काउंटर क्लेम अस्वीकार किया है, जो विधि सम्मत है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/61(प्राथमिक डिक्री) एवं 2023/104(काउंटर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.04.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/61
(प्राथमिक डिक्री)
राम प्रताप आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, आयु 63 वर्ष, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
..... **अपीलांट**

1. किशनलाल आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, अकलेरा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2023/104
(काउंटर क्लेम)
राम प्रताप आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, आयु 63 वर्ष, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
..... **अपीलांट**

बनाम

1. किशनलाल आत्मज श्री बाला जी, जाति मीना, निवासी ग्राम बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, अकलेरा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़ राज०

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/61, 2023/104 (काउंटर क्लेम)** एवं नाराजगी डिकी अदालत–**उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**

मु.द.नं **181/दावा/2014**

निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक **17.04.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 24 माह **02** सन् **2025**

हाजरी **श्री मुकुट बिहारी पारेता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री अरूण कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/61(प्राथमिक डिकी) एवं 2023/104(काउंटर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.04.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 03 सन् 2025 को जारी किया गया।

माहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)